श्रम विभाग

दिनांक 8 मार्च, 1984

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/20-84/10109.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै० एस. जी. स्टील प्रो. लि., प्लाट नं. 6, सैक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल-कम-हाऊसिंग इस्टेट, बल्लबगढ़, (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री ओ. सी. अहमद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री ओ. सी. अहमद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/20-84/10116.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. एस. जी. स्टील प्रा. लि., पलाट नं. 6, सैक्टर 4. इण्डस्ट्रीयल-कम-हाऊसिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री शेर मल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री शेर मल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/20-84/10123.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6, सैक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल-कम-हाऊसिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री कन्नी राम तथा उसके प्रबन्धकों के के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री कन्नी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/20-84/10130.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6 सैक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल-कम-हाऊसिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री लाल चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकार द्वारा राज्य उक्त अधिनिवम की धारा 7(क) के औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री लाल चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?